न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 120/2025 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2025/154

1. शेरबाज सिंह पुत्र मनवीर सिंह जाति जटसिख, निवासी वार्ड नंबर 1 रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. तेजिन्द्र सिह पुत्र श्री नागिन्द्र सिंह पत्नीपुत्र नारायण सिंह जाति जट सिख निवासी 25 पी.एस तहसील रायसिंहनगर हाल निवासी दानेवाला कोटकपूरा जिला फरीदकोट पंजाब।
2. तेजिन्द्र कौर पुत्री नागिन्द्र सिंह पत्नि हरप्रीतसिह निवासी 25 पीएस तहसील रायसिंहनगर हाल निवासी मकान नंबर 1566 सेक्टर 33 डी चण्डीगढ। जरिय मुख्त्यारआम तेजिन्द्र सिह पुत्र श्री नागिन्द्र सिंह पत्नीपुत्र नारायण सिंह जाति जट सिख निवासी 25 पी.एस तहसील रायसिंहनगर हाल निवासी दानेवाला कोटकपूरा जिला फरीदकोट पंजाब।
3. नरिन्द्र कौर पुत्री नागिन्द्र सिंह पत्नि प्रतापसिंह जाति जटसिख निवासी 25 पीएस तहसील रायसिंहनगर हाल निवासी सी 7 केन्द्रीय विहार सेक्टर 48 ए चण्डीगढ जरिये तेजिन्द्र सिह पुत्र श्री नागिन्द्र सिंह पत्नीपुत्र नारायण सिंह जाति जट सिख निवासी 25 पी.एस तहसील रायसिंहनगर हाल निवासी दानेवाला कोटकपूरा जिला फरीदकोट पंजाब।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसील राजस्व रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

— रेस्पोन्डेंट

उपस्थितः श्री मदन सुरोलिया अभिभाषक अपीलांट्स
श्री विजय कुमार पारीक अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक 09.01.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के निर्णय दिनांक 10.03.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर में एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके पिता की कृषि भूमि 23 पीएस ए के पत्थर नंवर 207/292 में मुरव्या नंवर 7 के किला नंबर 21 ता 25 में 1.037 हैक्टयर भूमि त्रुटिवश विलोपित हो गया उसे संशोधित कर पुन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावें।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर ने उक्त प्रकरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के पिता का नाम जो त्रुठिवश विलोपित हुआ उसको संशोधित करते हुए पुन जामबंदी में दर्ज किये जाने और विरास्तन इंतकाल दर्ज करने के आदेश पारित किए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर के उक्त आदेश दिनांक 10.03.2025 से व्यथित होकर अपीलांट्स ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.03.2025 विधि व तथ्यों के विरूद्ध बिना हितबद्ध पक्षकार बनाये बिना और बिना सुने आदेश पारित किया गया है। जो प्रथत दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट द्वारा जो अधीनस्थ न्यायालय ने वाद पेश किया था वह वाद मिथ्या तथ्यों व दस्तावेंजों के आधार पर प्रस्तुत किया गया था। इस भूमि में अन्य सह काश्तकारों को वाद में पक्षकार ही नही बनाया न ही उन्हें सुना गया और तथ्यों को छिपाते हुए वाद पत्र झूठे व मनगढंत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है। विधि के प्रावधानों के अनुसार किसी वाद को प्रस्तुत करने व निस्तारण करने के लिए उसके आवश्यक पक्षकारों को सुना जाना आवश्यक हैं। इस भूमि में जो अपीलकृत आदेश पारित किया गया है इसमें निर्णय से पूर्व सहकाश्तकार व सहहितबद्ध पक्षकरों को बिलकुल सुना नही गया। जिनका भी मालिकाना अधिकार था उन्हे सुने बिना अवैध तरीके से जो निर्णय पारित किया गया है वह प्रथम दृष्टयानिरस्त किये जाने योग्य हैं। रेस्पोडेन्ट ने अपने वाद में यह भी कथन किया है कि अन्य शेष खातेदार है उनसे किसी प्रकार कोई अनुतोश चाहा नही गया है। यह अपने आप में विरोधाभाषी है क्योकि जो भी आदेश पारित होता है तो शेष खातेदारों के हिस्सो पर प्रभाव अवश्य ही पड़ता है इस कथन को जानबुझकर छिपाते हुए वाद पेश कर निर्णय व डिक्री पारित करवाया है। इससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट स्वच्छ हाथों से कोर्ट में पेश नहीं हुए और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर निर्णय हाथों से कोर्ट में पेश नही हुए महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर निर्णय व आदेश पारित करवाया हैं। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि निर्णय दिनांक 10.03.2025 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के प्रकरण संख्या 4/2024 अनवान तोजिन्द्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जिसकी रूह से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 का वाद विधि विरूद्ध स्वीकार किया है इस निर्णय व डिक्री को निरस्त करने के आदेश दिये जावे।

3– विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी लिखित बहस एवं दौराने बहस में कथन किया है कि अपीलाधीन आदेश से अपीलांट किसी भी प्रकार से एग्रीव्ड नहीं है। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट की भूमि बावत् कोई आदेश पारित नही किया गया है। अपील सारहीन पेश की गई हैं। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट मे

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

लिपिकीय त्रुटि राजस्व रिकॉर्ड में थी, उसे नियमानुसार दुरूस्त किया गया है। राजस्व जमाबंदी में त्रुटिवश जोधासिंह व नगेन्द्र सिंह पिसरान नारायण सिंह का हिस्सा दर्ज था। लिपिकीय त्रुटि से नगेन्द्र सिंह का नाम जमाबंदी सम्वत 2055 से 2058 मे नाम गलती से त्रुटिवश छुट गया था, इस कारण धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत जमाबंदी मे नगेन्द्र सिह का नाम पुनः दुरूस्त किया गया है। आदेश में अन्य सह खातेदारें के हको के बावत व हिस्से के बाबत कोई आदेश नहीं हैं। धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की प्रक्रिया में लिपिकीय त्रुटि दुरूस्त होती है तथा सहमति से आदेश पारित किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायसिहनगर में प्रकरण में आवश्यक पक्षकार था तथा सहमति से आदेश पारित हुआ था। तहसीलदार रायसिंहनगर ने लिपिकीय त्रुटि मानी थी। तहसीलदार रायसिंहनगर ने लिपिकीय त्रुटि मानी थी, उक्त आदेश से किसी भी हिस्सेदार भी भूमि कम नही की गई है, मात्र नगेन्द्र सिंह नाम पुनः राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हेतु आदेश पारित किया गया है। उक्त अपील मियाद बाहर पेश की गई है एवं अपीलाधीन आदेश के खिलाफ अपीलांट अपील पेश नही कर सकता। अपीलाधीन आदेश से अपीलांट एग्रीव्ड ही नहीं है। अपीलांट के हिस्से को अपीलाधीन आदेश से टच ही नही किया गया है। अपीलांट को अपील पेश करने का अधिकार नही है। अतः उपरोक्त आधारो पर अपील खारिज की जावें।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र धारा—5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—96 सीपीसी प्रस्तुत कर प्रार्थी प्रकरण में आवश्यक व प्रभावित पक्षकार पक्ष होने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.03.2025 द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के प्रार्थना—पत्र अंतर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956 को स्वीकार करते हुए उक्त वादगत भूमि की जमाबंदी खेवट खतौनी संख्या 3/3 संवत 2055 ता 2058 मे से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 के पिता नागिन्द्र सिह का नाम, जो त्रुटिवश विलोपित हुआ है तो संशोधित करते हुए पुनः जमाबंदी संवत 2055 व 2058 में दर्ज किये जाने के आदेश पारित कर दिए। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपीलाधीन निर्णय करते हुए अंकित किया है कि मुताबिक पटवार हल्का रिपोर्ट अनुसार चक 23 पीएसए की जमाबंदी भू—प्रबंध विभाग संवत 2037—46, भू—राजस्व विभाग संवत् 2043—46, 2047—50, 2051—2054 के अनुसार जोधसिंह नगेन्द्रसिंह पि. नारायण सिंह 111—1/2 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड चला आ रहा था। जमाबंदी

क्षेत्रीय आयुक्त
बीकानेर

संवत 2051–2054 ई.स. 66 मे नोट दर्ज है जिसके अनुसार हिस्सेदार जोधसिंह फौत होने पर उनके वारिसान दिलबागसिंह, गुरभागसिंह, गुरदिलराजसिंह जसवीरसिंह, सुखजीतसिंह पि. जोधसिंह व दिलजीतकौर पुत्री जोधसिंह का नाम ब.हि.ब 55–3/4 हि. जरिये विरास्तन नामांतरकरण दर्ज किया गया, शेष हिस्सा बदस्तूर रखा गया। इसके अनुसार नगेन्द्रसिंह को 55–3/4 हिस्सा कायम रहा। परन्तु जमाबंदी संवत 2055–58 तहरीर करते समय नगेन्द्रसिंह नाम विलोपित हो गया तथा राजस्व रिकॉर्ड में संवत 2055–58 से लेकर आज तक नगेन्द्रसिंह पुत्र नारायण सिंह के हिस्से की भूमि का नामांतरकरण किसी अन्य के नाम दर्ज नहीं हुआ है और ना ही जमाबंदी में ऐसी कोई प्रविष्टि अंकित है। जमाबंदी में नगेन्द्र सिंह का नाम आदिनांक तक विलापित चला आ रहा है। उक्त तथ्यों के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर का अपीलाधीन आदेश नियमानुसार उचित है हम अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझतें है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.03.2025 यथावत रखा जाकर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 09.01.2026 का लिखिवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर